

**कार्यालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर**  
(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०)

**पत्रावली संख्या : 04/2026 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)**

**शहेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।**

आवेदक

बनाम

कार्तिक (मालिक/विक्रेता) पुत्र प्रदीप कुमार सिंघल मैसर्स सिंघल ट्रेडर्स बट्टा मार्केट बयाना भरतपुर निवासी जैन गली जैन मंदिर के पास बयाना भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल - श्री राजेश सोगरवाल एड०

निर्णय

दिनांक : 25.03.2026

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 03.02.2026 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 25.03.2026 को गैरसायल अधिवक्ता उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 25.06.2025 को दोपहर 4.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स सिंघल ट्रेडर्स बट्टा मार्केट बयाना भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु दुकान में रखे हुये कार्टून में 750-750 ग्राम के लगभग 20 पैकेट स्पेशल केसरिया ठण्डाई (गंगालहरी पंसासी) रखी हुई पाई गई। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/668/एक्ट/2025/688 दिनांक 02.07.2025 द्वारा उक्त स्पेशल केसरिया ठण्डाई (गंगालहरी पंसासी) का नमूना मिथ्याछाप(misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा मिथ्याछाप (misbranded) प्रकृति का स्पेशल केसरिया ठण्डाई (गंगालहरी पंसासी) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)का उल्लंघन किया गया है।

५१  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल ने मौखिक कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स सिंघल ट्रेडर्स बट्टा मार्केट बयाना भरतपुर से स्पेशल केसरिया ठण्डाई (गंगालहरी पंसारी) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जांच रिपोर्ट में नमूना मिथ्याछाप (misbranded) प्रकृति का पाया गया है। उक्त स्पेशल केसरिया ठण्डाई (गंगालहरी पंसारी) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक माना जाकर मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है, जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 25.06.2025 को दोपहर 4.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स सिंघल ट्रेडर्स बट्टा मार्केट बयाना भरतपुर दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय दुकान में दुकान में रखी हुई एल्यूमिनियम की ट्रे में लगभग 20 किग्रा स्पेशल केसरिया ठण्डाई (गंगालहरी पंसारी) रखा हुआ पाया गया खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/668/एक्ट/2025/688 दिनांक 02.07.2025 द्वारा उक्त स्पेशल केसरिया ठण्डाई (गंगालहरी पंसारी) का नमूना मिथ्याछाप (misbranded) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 20,000/-रूपये (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

G1  
(धनश्याम शर्मा)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)